महोदय, इस स्कूल के निर्माण के लिए भोपाल प्रशासन ने एक एकड़ भूमि निहायत कम दरों पर उपलब्ध कराई थी इस स्कल में प्रवेश के लिए ईसाई बच्चों को प्राथमिकता दी जाती है और जो नाकी सीटें बच जाती हैं उनके लिए जो परीक्षा का प्रावधान है उसमें ही बच्चे उत्तीर्ण होते हैं जिनके ग्रभिभावक उच्च पदों पर हैं।

महोदय, इस विद्यालय में प्रतिदिन भगवान ईसा मसीह की प्रार्थना होती है. राष्ट्रगान नहीं होता है। पिछले काफी समय से इस स्कूल के कुछ बच्चे राष्ट्रगान को प्रार्थना के रूप में लिए जाने के लिए स्कूल के संचालकों से निवेदन कर रहेथे, लेकिन उनकी प्रार्थना पर ध्यान नह दिया गया। ग्रभी 22 जलाई को इस स्कूल के छात्रों ने प्रभु ईसा मसीह की प्रार्थना के बाद सम्मान सहित राष्ट्रगान गाया। इससे बौखलाकर प्रबंधकों ने राष्ट्रगान गाने वाले तीन प्रमुख छात्रों शफी खान, कपिल चड्ढा ग्रीर नवीन इकवाल को जो 12वीं कक्षा के छात्र हैं, स्कूल से निष्कासित कर दिया है। इससे भोपाल के छात्रों में भारी ग्रसतोष है । इन छात्रों ने स्कूल के समक्ष धरना दिया है, जल्म निकाले हैं, प्राचार्य के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। भोषाल के जिलाधीश को उन्होंने ज्ञापन दिया है। भोपाल नगर की स्थिति इस घटना से ज्यादा बिगड़ न पाए, इसलिए मेरा सरकःर से निवेदन है कि केन्द्रीय सरकार तत्काल ऐसे कदम उठाए ताकि इस स्कूल में फिर इस प्रकार की स्थिति पैदा न हो ग्रीर सम्मान के साथ प्रार्थना के साथ-साथ राष्ट्रगान को भी स्वीकार किया जाए। इसके साथ ही की पियन स्कूल के प्रिसिपल के खिलाफ और वहां के मैनेजमेंट के खिलाफ मुकदमा चलाया चाए ।

धन्यवाद ।

## STATEMENT BY MINISTER

Bill. 1993

Protection Amdt,

Circumtances which necessitated immediate promulgation of the contimer Protection (Amendment) Ordinance, 1993.

THE MINISTER OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER **AFFAIRS** AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI A. K. ANTONY): Sir, I beg to lay on the Table of the House a statement explaining the reasons for promulgating the Consumer Protection (Amendment) Ordinance,

I. STATUTORY RESOLUTION SEEKING DISAPPROVAL OF THE CONSUMER **PROTECTION** (AMENDMENT) ORDINANCE, 1993.

II. THE CONSUMER PROTECTION (AMENDMENT) BILL, 1993.

और कुष्ण साल शर्मा (हिमाचल प्रदेश) : महोदय, मैं निम्नलिखित संकल्प उपस्थित करता हं.

''यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 18 जून, 1993 को प्रख्यापित उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) ग्रध्यादेश, 1993 (1993 का संख्यांक 24) का निरनुमोदन करती है।"

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं ग्रपनी बात को इसी विषय तक सीमित रखंगा। मैं इस ग्रध्यादेश को निरस्त करने के लिए श्रपनी बात कहंगा क्योंकि मेरी पार्टी की तरफ से मेरे साथी इस बिल के संबंध में विस्तार से बोलने वाले हैं। दो बातें कहनी हैं। एक तो जो यह परम्परा है कि हम विधेयक सदन में लाने के बजाय पहले श्रध्यादेश से उसको लाग करते हैं और फिर सदन के सामने एक विधेयक के रूप में रखते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। यह विश्वेयक पिछले सब यानी बजट सन्न में पारित हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ, समय नहीं मिला। एक महीने पहले ही अब